विषय: भारतीय रेलवे के सभी रेलवे अस्पतालों में "ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ".
संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक:15.12.2005 का पत्र सं. 2001/एच-1आई12/40, दिनांक 27.06.2006, 29.06.2009, 01.06.2011 एवं 30.05.2012 के समसंख्यक पत्र.

Sub: "Honorary Visiting Specialists" in all the Railway Hospitals all over Indian Railways
Ref: Railway Board's letter No 2001/H-1I12/40 dt:15.12.2005, letters of even No. dated 27.06.2006, 29.06.2009, 01.06.2011 and 30.05.2012.

नोट: रेलवे बोर्ड के दिनांक *25.06.2013* का पत्र सं. *2013*/एच*-1/12/*नीति के अनुसार से इस योजना को *01.07.2013* से *30.06.2014* तक बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी प्रदान की जाती है.

Note: In terms Of Railway board's letter No: •2013/H-1/12/Policy. dated 25.06.2013 sanction of the Ministry of Railways is hereby accorded for further extension of the scheme from 01.07.2013 to 30.06.2014.

दक्षिण मध्य रेलवे पर नियोजन हेतु अनुमत अधिकतम ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों की संख्या

For South Central Railway maximum number of Honorary Visiting Specialists that can be engaged are

(i)	केंद्रीय अस्पताल / सिकंदराबाद ***Central hospital/ Lallaguda/ Secunderabad*** :	***10***
(ii)	मंडल अस्पताल / विजयवाडा ***Divisional hospital/Vijayawada*** :	***06***
(iii)	मंडल अस्पातल / गुंतकल ***Divisional Hospital/Guntakal*** :	***04***
(iv)	उप मंडल अस्पताल / पुर्णा ***Sub-Divisional Hospital/Purna*** :	***03***
(v)	उप मंडल अस्पताल/रायनपाडु ***Sub-Divisional Hospital/Rayanapadu*** :	***03***

1. नामकरण
1.1 संशोधित नाम "ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ" होगा.
1.2 उपर्युक्त योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी.

1. Nomenclature
1.1 The revised name will be "Honorary Visiting Specialists".
1.2 The above scheme will be implemented in phased manner.

2. प्रक्रिया
2.1 प्रत्येक उप-विभागीय अस्पताल में नियुक्त किए जाने वाले "ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों" की अधिकतम संख्या तीन (3) तक सीमित हो.
2. **The procedure**
2.1 The maximum number of "Honorary Visiting Specialists" which may be appointed in each Sub-Divisional Hospital should be limited to three (3).

3. योग्यता एवं अनुभव
(शुद्धिपत्र रेलवे बोर्ड के दिनांक:11.05.2012 का पत्र सं. 2010/एच-1/12/8)
(क्रमांक 01-स्वास्थ्य 2012 - बोर्ड के दिनांक:15.12.2005 का पत्र 2001/एच-1/12/40 के पैरा 3 और 6 के लिए अग्रिम शुद्धिपर्ची)
3.1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम पीजी डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री.
3.2 पी.जी.डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में 3 वर्षों का न्यूनतम व्यावसायिक कार्य अनुभव और जहां पर पीजी डिग्री उम्मीदवार उपलब्ध न हों, पीजी डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद संबंधित विशेषज्ञता में 5 वर्षों का व्यावसायिक कार्य अनुभव रखने वाले पीजी डिप्लोमा धारक.
3.3 विशेषज्ञ डॉक्टर अपने शहर/टाउन में पर्याप्त लोकप्रिय और विश्वसनीय हो.
3. Qualification and experience
(Corrigendum Rly.Bd.'s lr.No.2010/H-1/12/8 dt:11.05.2012)

(Sl.No.01-Health 2012 – Advance correction slip to Para 3 and 6 of the Board's letter 2001/H-1/12/40 dt:15.12.2005)

3.1 Minimum PG Diploma / Post-Graduate degree from a recognized University.
3.2 Minimum **3 years** experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G. degree and in places where suitable candidates with PG degree are not available, PG diploma holders with **5 years** experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G. diploma.
3.3 The Specialist doctor must have earned reasonable amount of popularity, and Confidence 'in the City/Town.

4. चयन प्रक्रिया

संबंधित रेलवे अस्पताल के एमडी/सीएमएस/ प्रभारी एमएस उचित बाजार सर्वेक्षण करेंगे और स्थानीय प्रतिष्ठा, प्रकाशनों और अनुलग्नकों के आधार पर प्रसिद्ध सक्षम विशेषज्ञ डॉक्टरों को शॉर्टलिस्ट करेंगे.
4.1 एमडी/सीएमएस/ प्रभारी एमएस उन चयनित विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार आयोजित करेंगे और सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ डॉक्टर का चयन करेंगे.
4.2 चयनित विशेषज्ञ डॉक्टर को एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जिसे रेलवे अस्पताल के प्रभारी एमडी/ सीएमएस/एमएस द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया जाएगा.

4. Procedure of Selection

The MD/CMS/MS in-charge of the concerned Railway hospital will undertake proper market Survey and shortlist probable Specialist D*octors* having proven abilities as judged by local reputation, publications and attachments.

4.1 The MD/CMS/MS in-charge will hold negotiating meeting with those short listed Specialist Doctor and will finalize the most suitable Specialist Doctor.

4.2 The selected Specialist Dctor will be asked to submit an' application which will be recommended by MD/CMS/MS in-charge of the Railway Hospitals to obtain approval *of* competent authority.

5. सक्षम प्राधिकारी ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ की नियुक्ति को मंजूरी देगा

5.1 पहली बार ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए अनुमोदन डीजी/आरएचएस द्वारा दिया जाएगा.

5.2 प्रथम वर्ष के अंत में कार्यनिष्पादन के आधार पर डीजी/आरएचएस द्वारा पहली बार अवधि को बढ़ाया जाएगा.

5.3 कार्यनिष्पादन के आधार पर महाप्रबंधकों द्वारा आगे अवधि को बढ़ाया जाएगा लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष पूरा होने पर डीजी/आरएचएस से दोबारा मंजूरी लेने की आवश्यकता है.

5. Competent Authority to approve engagement *of* Honorary Visiting" Specialist

5.1 For a person being engaged *for* the first time Honorary Visiting Specialist" approval will be given by DG/RHS. ,
5.2 First extension at the end *of* 1st year will be given by DG/RHS based on performance.
5.3 Further extension based *on* performance will be given by General Managers but after completion of every 5 years, repeat approval of DG/RHS is essential.

6. आयु से संबंधित प्रोफ़ाइल

(शुद्धिपत्र रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.05.2012 के पत्र सं.2010/एच-1/12/8)
(क्रमांक 01-स्वास्थ्य 2012 - बोर्ड के दिनांक:15.12.2005 का पत्र 2001/एच-1/12/40 के पैरा 3 और 6 के लिए अग्रिम शुद्धिपर्ची)
6.1 पहली बार नियोजन के दौरान, आयु 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना अपेक्षित है.
6.2 निरंतर नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष है.
नोट: ~ विशेष मामले रेलवे बोर्ड को भेजे जाएंगे.

6. Age Profile

(Corrigendum Rly.Bd.'s lr.No.2010/H-1/12/8 dt:11.05.2012)
(Sl.No.01-Health 2012 – Advance correction slip to Para 3 and 6 of the Board's letter 2001/H-1/12/40 dt:15.12.2005)

6.1 During first time engagement, the preferred age is between 30 years to 50 years.

6.2 Upper age limit of continued engagement is 60 years.

Note: ~ Exceptional cases need to be referred to Railway Board.

7. कार्य करने की अवधि

7.1 प्रत्येक बार ऑफर केवल एक वर्ष के लिए दिया जाता है.

7.2 एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उपर्युक्त पैरा 5 के अनुसार उसे बढ़ाया जा सकता है.

7. Tenure of working

7.1 Each time the offer is given, it is to be given *for one* year only.

7.2 After expiry of ***one* year** extension can be given as, per para 5 above.

8. दौरे की संख्या/घंटो की संख्या आदि.

ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों को तीन में से किसी भी पद्धति के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है: -

8.1 प्रति दिन/6 दिन/सप्ताह में औसतन 2 घंटे.

8.2 प्रतिदिन/4 दिन/सप्ताह में औसतन 2 घंटे.

8.3 प्रतिदिन/2 दिन/सप्ताह में औसतन 2 घंटे.

इसके अलावा उन्हें किसी भी दिन, रविवार सहित छुट्टी वाले दिन (चार दिन और दो दिन/सप्ताह के लिए) और दिन के किसी भी समय आपात स्थिति में बुलाए जाने पर अस्पताल आना होगा.

8. Number *of* Visit/Number *of* Hours etc.

Honorary Visiting Specialist can be engaged as per any of the three patterns:-

8.1 Average of 2 hours every day/6 days/Week.

8.2 Average *of* 2 hours every day/4 days/Week.

8.3 Average of 2 hours every day/2 days/Week.

In addition they will have to come to hospital whenever called in *for* emergency *on* any day, including Sunday and Off day (for 4. days & 2days/Week) and at any time *of* the day.

9. सप्ताह में 6 दिन/4 दिन/2 दिन के लिए किसे नियुक्त किया जाए, इसका निर्णय कैसे करें.

9.1 बड़े क्लिनिकल विशेषज्ञों को कार्यभार की परवाह किए बिना 6 दिन/सप्ताह के लिए नियोजित किया जाए.

9.2 छोटे क्लिनिकल विशेषज्ञों को कार्यभार के आधार पर 6 दिन/सप्ताह या 4 दिन/सप्ताह के लिए नियोजित किया जाए.

9.3 पैरा क्लिनिकल विषय (रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी आदि) के लिए कार्य भार के आधार पर प्रति सप्ताह 6 दिन/4 दिन/2 दिन के लिए नियोजित किया जाए.

9. How to decide about who should be engaged for 6 days/4 days/2 days per Week.

9.1 For Major clinical Specialists they must be engaged for 6 days/Week irrespective of workload.

9.2 For minor clinical Specialists they may be engaged for either 6 days/Week or 4 days / Week depending upon workload.

9.3 For Para clinical Subjects (Radiology, Pathology etc.) they may be engaged for 6 days/4 days/2 days per week depending upon the work load.

10.मानदेय का भुगतान

मासिक मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:-

10.1 6 दिन/सप्ताह के लिए - प्रति माह ₹. 20,000/-

10.2 4 दिन/सप्ताह के लिए - प्रति माह ₹. 14,000/-

10.3 2 दिन/सप्ताह के लिए - प्रति माह ₹. 07,000/-

10. Honorarium to be paid

Monthly Honorarium to be paid as follows:-

10.1 For 6 days/Week - ₹. 20, 000/- P.M.

10.2 For 4 days/Week - ₹. 14, 000/- P.M.

10.3 For 2 days/Week - ₹. 07, 000/- P.M.

11. निःशुल्क रेलवे पास

11.1 प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में चयन ग्रेड अधिकारियों की पात्रता के अनुसार पूरे भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस सहित एसी टू टियर और शताब्दी एक्सप्रेस की एसी चेयर कार में स्वयं + पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए एक सेट वैध मानार्थ रेलवे पास (रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के अनुसार) उपलब्ध कराया जाएगा;

11.2 कैलेंडर वर्ष में नियोजन के 3 महीने के बाद मानार्थ पास का लाभ उठा सकते हैं.

11. Free Railway Passes

11.1 One set of Complimentary Railway Pass valid all over Indian Railway & Konkan Railway in AC two tier including Rajdhani Express and in AC Chair Car of Shatabdi Express for self + Spouse and dependent Children (as per rules applicable for Railway employees) will be made available as per the entitlement; of Selection Grade officers in each calendar year.

11.2 The complementary pass can be availed after 3 months of engagement for the Calendar year.

12. उपर्युक्त योजना लागू करना

12.1 सामान्य चिकित्सा, सामान्य सर्जरी और स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान में तीन "ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों को नियोजित किया जाए. उन्हें औसतन 2 घंटे/दिन/6 दिनों/सप्ताह के लिए नियुक्त किया जाए.

12.2 विशेषज्ञता में किसी बदलाव या किसी अन्य रेलवे अस्पताल में पद के अंतरण की अनुमति नहीं है.

12.3 रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.08.04 का पत्र संख्या 2004/एच/23/3 के तहत दिए गए निदेशों में थोड़ा सा संशोधन करते हुए एनेस्थीसिया कार्य के लिए बाजार से एनेस्थेटिस्टों को बुलाया जाए. इन अस्पतालों में एनेस्थेटिस्ट का पद उपलब्ध न होने और आईआरएमएस कैडर के सभी पद पूरी तरह से भरे जाने पर भी उन्हें अस्पतालों में बुलाया जाए.

12. Implementation of the above scheme

12.1 The three "Honorary Visiting Specialist are to be engaged in the Specialty of General Medicine, General Surgery and Gynecology & Obstetrics. They should be engaged for average 2 hours/day/ for 6 days/Week.

12.2 No change is allowed in Specialty or shifting of post to some other Railway Hospital etc.

12.3 Anesthetists are to be called in from market for Anesthesia work as per' , directives given in Railway Board's letter vide No. 2004/H/23/3 dated 04.08.04 with slight modification that they

are to be called in 'these hospital without the post of Anesthetist being available in these Hospitals and even if all the posts of IRMS Cadre are fully occupied.

13. पारिश्रमिक की दैनिक कटौती दर

13.1 उन्हें प्रति वर्ष 12 दिन की छुट्टी दी जाती है. 12 से अधिक दिनों की अनुपस्थिति के लिए निम्नलिखित दरों पर कटौती की जाएगी: -
2 घंटे 6 दिन/सप्ताह के लिए एक दिन = ₹.850/- प्रति दिन
2 घंटे 4 दिन/सप्ताह के लिए एक दिन = ₹.875/- प्रति दिन
2 घंटे 2 दिन/सप्ताह के लिए एक दिन = ₹..875/- प्रति दिन

13. Daily Rate of deduction of remuneration

13.1 They are allowed to have 12 days leave every year. For any absence beyond 12 days~ deductions will be made at the following rates:-

2 Hrs. a day for 6 days/week = ; ₹.850/- per day 2 Hrs. a day for 4 days/week = ₹.875/- per day

2 Hrs. a day for 2 days/week = ₹..875/- per day

14. संविदा को समाप्त करना

ए. दोनों ओर एक महीने का नोटिस देते हुए संविदा को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है. प्रशासन को बिना किसी कारण बताए इसे समाप्त करना का अधिकार है.

14. Termination of Contract

a. The contracts may be terminated at any time, on one month notice on either side. The Administration reserves the right not to assign any reason for such termination.

15. योजना का वित्तीय मूल्यांकन

योजना का वित्तीय मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा. रेलवे रोगियों की कुल संख्या जिन्हें ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों द्वारा व्यवसायिक सेवाएं प्रदान की गईं, का नीचे दी गई सेवाओं की दरों से गुणा किया जाए. पेशेवर सेवाओं की दरें नीचे दी गई हैं

15. Financial Evaluation of the scheme

For the purpose of doing financial evaluation of the scheme, the following procedures are to be adopted. The total number of Railway patients provided profession~ services by Hony. Visiting Specialists is to be multiplied with rates of services as 'given below. The rates of the professional services are given below

16 .1 कन्सल्टेशन सेवाओं के लिए
(ए) ओपीडी में कन्सल्टेशन के लिए - ₹.50/- प्रति मामला कन्सल्टेशन सेवाओं के लिए
(बी) आईपीओ में कन्सल्टेशन के लिए -₹.75/- प्रति मामला कन्सल्टेशन सेवाओं के लिए
16 .1 For Consultation Services

(a) For consultation in OPD - ₹.50/- per case per consultation services provided,

(b) For consultation in I PO - ₹.75/-per case per consultation services provided

16.2 सर्जिकल ऑपरेटिव सेवाओं के लिए
(ए) छोटे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए - ₹.8,000/- प्रति मामला.
(बी) प्रमुख सर्जिकल ऑपरेशन के लिए - ₹. 15,000/--प्रति मामला.
(सी) विशेष सर्जिकल ऑपरेशन के लिए - ₹. 30,000/- प्रति मामला.
(डी) टरटियरी स्तर के सर्जिकल ऑपरेशन के लिए - ₹.50,000/- प्रति मामला.

16.2 For Surgical operative Services

(a) For minor surgical operation - Rs.8, 000/- per case.

(b) For major surgical operation - Rs.15, *0001*-per case.

(c) For special surgical operation - Rs.30, 000/-per case.

(d) For tertiary level surgical operation - Rs.50, *000/*-per case.

17: इस योजना को लागू करने से , ऑनररी विज़िटिंग विशेषज्ञ कन्सल्टेशन देंगे और आवश्यकतानुसार ऑपरेशन करेंगे और अन्य सलाह देंगे. वे रेलवे अस्पतालों में भी ऑपरेशन करेंगे, और ऐसे मामले जिनमें रेफरल की आवश्यकता है और यदि मरीज की स्थिति ऐसी है कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी रेलवे अस्पताल में मरीज का प्रबंधन किया जा सकता है तो ऐसी उन्हें विजिटिंग विशेषज्ञ उपलब्ध होने पर निजी/सरकारी अस्पतालों के लिए रेफर नहीं किया जाएगा. यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ उच्च जोखिम वाले रोगियों को अभी भी उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने की आवश्यकता होगी.

17: With the implementation *of* this scheme, the Honorary Visiting Specialists will be giving consultations & performing operations and other advice as required. They would-be performing operations also in the Railway Hospitals, and those cases which require referral and the condition *of* that patient is such that it is manageable during operation and post operative period in that Railway Hospital, will not be referred to Private/Govt. hospitals, for the specialty for which visiting specialists are available in that Railway Hospital. It is further clarified that few high risk patients will still be required to be referred to higher medical Centers.

आवेदन पत्र का प्रारूप

दक्षिण मध्य रेलवे के अस्पतालों में ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ के रूप में नियोजन हेतु आवेदन

APPLICATION FORMAT

Application for engagement as Honorary Visiting Specialist Over South Central Railway Hospitals

1. नाम (बड़े अक्षरों में)/Name (IN BLOCK LETTERS):
2. पिता का नाम/ Father's Name
3. डाक पता (डीओटी फोन/मोबाइल के साथ)
   Postal Address(With DOT Phone/Mobile)
4. जन्म तिथि (आंकड़ों में और अक्षरों में)/
   Date of Birth(figured and words)
5. क्या आप पूर्व रेलवे डॉक्टर हैं? (यदि हां, तो विवरण दें)
   Are you an Ex. Rly. Doctor (If yes give details)
6. विशेषज्ञता /Specialty

7. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता Educational/ Professional Qualification

परीक्षा Examination	तैनाती का वर्ष Year of Posting	मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय Medical College/University

8. मेडिकल काउंसिल एवं राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर/
   Registration No. of Medical Council and state
9. अनुभव /Experience
10. नियोजित/निजी: Employed / Private:
11. यदि कार्यरत हैं, तो संगठन का नाम:
    If employed, name of the Organization:
12. यदि निजी है, तो क्या किसी कॉर्पोरेट अस्पताल से जुड़े हैं:
    If Private, whether attached to any Corporate Hospital:
13. क्या सप्ताह में 6 दिन/4 दिन/2 दिन उपलब्ध रहेंगे:
    Whether will be available 6 days / 4 days / 2 days in a week:

संलग्नक/ Enclosures:

i. दो अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो
Two recent passport size photographs
ii. जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र (एसएससी प्रमाणपत्र)
Certificate Indicating the date of Birth (SSC Certificate)
iii. एमबीबीएस की डिग्री और उच्च चिकित्सा योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र
MBBS degree and Degree Certificate of Higher Medical Qualification
iv. इंटर्नशिप प्रमाणपत्र/ Internship Certificate
v. पंजीकरण प्रमाण पत्र/ Registration Certificate
vi. अनुभव प्रमाण पत्र/ Certificate of experience

घोषणा Declaration

मैं, डॉ ...., योजना में उल्लिखित उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए, रेलवे में ऑनरेरी विजिटिंग विशेषज्ञ विकल्प का चयन करता हूं. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में दिए गए सभी कथन मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं. मैं जानता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण या जानकारी को, मेरे नियोजन से पहले या बाद में किसी भी चरण में झूठ या गलत पाए जाने या बयानों को गलत या विसंगत पाए जाने पर किसी सिविल या आपराधिक कानूनी कार्रवाई के बिना मेरी संविदा को तुरंत समाप्त किया जा सकता है. संविदा को किसी भी समय, दोनों तरफ एक महीने के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है. प्रशासन को इस तरह की समाप्ति के लिए कोई कारण नहीं बताने का अधिकार है.

I, Dr .... , having been complying with the eligibility criteria mentioned above in the scheme, do herewith opt for the scheme of Honorary Visiting Specialist in Railways. I also declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any of the particulars or information given herein being found false or incorrect or in the event of misstatement or discrepancy in the particulars being detected at any stage before or after my appointment, my contract is liable to be terminated forthwith independent of nay civil or criminal legal action. **The contracts may be terminated at any time, on one month notice on either side. The Administration reserves the right not to assign any reason for such termination.**

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
Signature of the Candidate
स्थान व दिनांक **Place: Date**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत अनुपालन

Compliance under Section 4(1) (b) of Right to Information Act, 2005

आरटीआई अधिनियम की धारा **Section of RTI Act**	आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यकता **Requirement under the RTI Act**	विवरण **Details**
4(1)(बी)(i) **4(1)(b)(i)**	संगठन, गतिविधियां और ड्यूटियों का विवरण **Particulars of organization , functions & duties**	रेलवे का मौलिक कार्य है माल और यात्रियों का परिवहन करना. कुशल रेल परिचालनों के लिए फिट और स्वस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता के मद्देनजर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका को अधिक सराहना की जा सकती है. दक्षिण मध्य रेलवे के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आधुनिक एवं लागत प्रभावी तकनीक व प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रत्येक डॉक्टर और पैरामेडिक कर्मचारी की समर्पित सेवा के माध्यम से रोगियों की संपूर्ण संतुष्टि हेतु अत्युत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना अपना मिशन बनाया है. **Railway's primary business is to transport goods and passengers. The role of Medical and Health Department can be best appreciated in view of the need to have fit and healthy employees for efficient railway operations. The Medical and Health Department of the South Central Railway has adopted providing total patient satisfaction through humane approach and shared commitment of every single Doctor and Paramedic & provision of quality health care using modern and cost effective techniques and technologies as its mission.** यह लक्ष्य रेलवे के चिकित्सा विभाग को पर्याप्त उपचार, प्रचार-प्रसार और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना; रेल दुर्घटनाओं में घायल यात्रियों को त्वरित राहत देने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बक्स सहित दुर्घटना राहत उपकरण प्रदान करना और उनका रखरखाव करना; गाड़ियों में या रेलवे स्टेशनों पर घायल या गंभीर रूप से बीमार यात्रियों की देखभाल करना; नामित रेलवे स्टेशनों और कॉलोनियों में स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए तकनीकी सलाह प्रदान करना, सुरक्षित पेयजल और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों की निगरानी करना; अस्पताल कचरे के निपटान के लिए उपाय करना; प्रभावी मापदंडों और विभागीय पर्यवेक्षण और मेडिकल ऑडिट आदि के माध्यम से श्रमशक्ति की पर्याप्तता और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रभावकारिता का आकलन करने का निदेश देता है. रेलवे में स्वास्थ्य सुविधाएं तीन स्तरों पर प्रदान की जाती हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक. प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयां सभी प्रभागों में फैली हुई हैं; मंडल अस्पताल माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की श्रेणी में आते हैं जबकि केंद्रीय अस्पताल में तृतीयक देखभाल केंद्र होते हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में महानिदेशक (रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं) करते हैं. प्रत्येक जोनल रेलवे के मुख्यालय में मुख्य चिकित्सा निदेशक जोनल रेलवे में सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य मामलों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं. **The mission statement enjoins upon the medical department of the railways to provide adequate curative, promotive and preventive health services; provide and maintain accident relief medical equipment, including first aid boxes, to give prompt relief to passengers injured in railway accidents; attend to passengers injured or taken seriously ill in trains or at railway stations; Providing technical advice for sanitation hygiene and cleanliness at nominated railway stations & colonies; monitoring safe drinking water and un-adulterated eatables; take measures for disposal of hospital waste; assess adequacy of manpower and efficacy of health care services through effective parameters and adequacy of departmental supervision**

		medical audit etc. Health facilities in the railway are provided at three levels viz., primary, secondary and tertiary At primary level Health Units are scattered all over the Divisions; Divisional Hospitals come under the category of secondary health facilities while Central Hospitals comprise the tertiary care centers. Medical and Health Department is headed by Director General (Railway Health Services) in the Ministry of Railways (Railway Board). Chief Medical Directors at headquarters of each zonal railway are responsible for administrative control of all the medical and health matters in the zonal railway.
4(1)(बी)(ii) **4(1)(b)(ii)**	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं ड्यूटियां **The powers and duties of the officers and employees**	संगठन में सभी स्तरों पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ-साथ गैर-चिकित्सा अधिकारियों की शक्तियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं. ड्यूटियां विभागवार सौंपे गए हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों के वैध कर्तव्य के लिए रेल मंत्रालय/ रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिक/कोड और मैनुअल/भाग बी मैनुअल /भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम - **I** के तहत भारतीय रेलवे की वेबसाइट **http://www. Indianrailways.gov.in** देखें. **The powers of Medical officials as well as non-medical officials are well defined at all levels in the organization. The duties are Department wise assigned and legitimate duties of Officers & Staff can be viewed on Indian Railways website** http://www.indianrailways.gov.in under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / Codes And Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume – I.

4(1)(बी)(iii)4(1)(b)(iii)	पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति. **The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability**	कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न स्थापना कोड/स्थापना और चिकित्सा मैनुअल में निहित प्रावधानों पर आधारित हैं. सामान्य कार्यालयीन कार्यों के लिए, कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल उपलब्ध है. सामान्य प्रक्रियात्मक निदेश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं और उपयोगकर्ता अधिकारियों के पास उपलब्ध हैं. मुख्य उद्देश्य रचनात्मक दृष्टिकोण; टीम भावना; कार्यनिष्पादन में उत्कृष्टता; कामकाज और व्यवहार में पारदर्शिता; विभाग की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही हैं. **The procedure/norms set for discharge of functions are based on the provisions contained in various Establishment codes/ Establishment and Medical manuals. For general office procedure, there is a manual of Office procedure. The general procedural instructions are also reiterated/issued from time to time and areavailable with user Officials. The key values areConstructive approach; Team Spirit; Excellence in Performance; Transparency in working and dealings; Responsible and accountability of department**
4(1)(बी)(iv) 4(1)(b)(iv)	कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक **The norms set for dischargeof functions**	
4(1)(बी)(v) 4(1)(b)(v)	कंपनी में उपलब्ध या उनके नियंत्रण में रखे गए या कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड **The rules, regulations,instructions, manuals and records, held or under the control of the company or used by the employees for discharging their functions**	चिकित्सा विभाग में रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड/आईआर कार्मिकों के लिए/कोड और मैनुअल/पार्ट बी मैनुअल/ भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम-**I** एवं वॉल्यूम-**II** के साथ कार्यों के निर्वहन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि वेबसाइट **http://www. Indianrailways. gov.in** पर देख सकते है. हमारे बारे में/ रेल कार्मिकों के लिए/ शक्तियों की अनुसूची वेबसाइट **http://www.scr. Indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है. **The Medical Department holds Indian Railway Medical manuals volume I & II on website** http://www.indianrailways.gov.in under Ministry of Railways / Railway Board / For IR Personnel / CodesAnd Manuals / PART B Manuals / Indian Railway Medical Manual Volume – I & Volume – II. and **Schedule of Powers for discharging the functions as Delegation of Powers etc.** under head About us / For Railway Personnel / Schedule of Powers on website http://www.scr.indianrailways.gov.in
4(1)(बी)(vi) 4(1)(b)(vi)	चिकित्सा विभाग में उपलब्ध या उनके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण. **A statement of the categories of documents that are held or under the control of the Medical Department.**	चिकित्सा विभाग में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लागू कुछ श्रेणियों के दस्तावेजों को सुरक्षित बनाए रखने की आवश्यकता है. **In the medical department certain categories of documents are required to be preserved and maintained under various applicable provisions of law viz.** 1) दौरा कार्यक्रम **Tour programmes.** 2. प्रिस्क्रिप्शन की डुप्लीकेट पर्चियां. **Duplicate slips of prescription.** 3. इनडोर रोगियों का प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर. **Prescription registers of indoor patients.**

		4. जलपान कक्ष, भोजन विक्रेताओं के स्टॉल आदि का निरीक्षण रिपोर्ट. **Inspection reports of refreshment rooms, food vendorsstalls etc.** 5. एआरएमई/प्राथमिक चिकित्सा बक्स निरीक्षण रिपोर्ट. **ARME/First Aid Boxes inspection reports.** 6. टीकाकरण/इनोक्यूलेशन के रजिस्टर.**Registers of vaccination/inoculations.** 7. अस्पतालों एवं स्वास्थ्य इकाइयों के निरीक्षण रिपोर्टों की कार्यालय प्रतियां. **Office copies of inspection reports on Hospitals & HealthUnits.** 8. संक्रामक मामलों और मृत्यु के रिपोर्टों की कार्यालय प्रतियां **Office copies of reports of infectious cases and deaths** 9. निर्माण कार्यक्रम/एम एंड पी कार्यक्रम **Works programmes/M&P programmes.** 10. सामान्य पत्राचार फ़ाइल. **General correspondence files.** 11. साधारण एक्स-रे प्लेट. **Ordinary X-ray plates.** 12. रेल दावा प्राधिकरण के सदस्यों के चिकित्सा परीक्षण रिकॉर्ड **Medical Examination records of Members of Railway Claims Tribunals** 13. बीमार होने की सूचना देने वाले मरीजों के बेड-हेड टिकट/तापमान चार्ट/ओपीडी टिकट **Bed-head tickets/Temp.charts/OPD tickets of patientsreporting sick** 14. बीमारी, बीमारी निरंतरता और फिटनेस प्रमाण पत्र **Sickness, Continuation sickness & fitness Certificates** 15. बीमार/ड्यूटी प्रमाण पत्र. **Sick / Duty certificates.** **16)** चेस्ट क्लिनिक से संबंधित उम्मीदवारों का एमएमआर और एक्स-रे प्लेट **MMR of candidates and X-ray plates pertaining to chest clinic** . 17. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें. **Medical Board reports.** 18. अवैध प्रमाणपत्र. **Invalidation certificates.**

		19. प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण. **Initial Medical examination.** 20. आवधिक चिकित्सा परीक्षण. **Periodical medical examination.** 21. नीतिगत मामलों के परिपत्रों की फ़ाइल **Files of circular letter on policy matters** 22. दुर्घटना रिपोर्ट. **Accident reports.** 23. जन्म रजिस्टर. **Birth Registers.** 24. मृत्यु रजिस्टर. **Death Registers.**
		25. मृत्यु प्रमाण पत्र. **Death certificates.** 26. मेडिको लीगल केस रिपोर्ट. **Medico Legal case reports.** 27. मेडिको लीगल मामलों के एक्स-रे प्लेट. **X-ray plates of Medico Legal cases.** 28. चिकित्सा विभाग स्तर पर खरीदी गई दवाइयों एवं मेडिकल स्टोर के खरीदी रिकार्ड **Procurement records of medicines and medical stores procured at Medical Department level**
4(1)(बी)(viii) 4(1)(b)(viii)	दो या दो से अधिक व्यक्तियों से गठित बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों से प्राप्त स्टेटमेंट जो उसके अंतर्गत या उसे सूचना देने के लिए गठित हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए प्रकट हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के पहुंच में हैं. **A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether meetingof those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public**	लागू नहीं है **Not applicable**
4(1)(बी)(ix) 4(1)(b)(ix)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका **A directory of the officers and employees**	द.म.रेलवे वेबसाइट पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है **http://www.scr. Indianrailways.gov.in** के अंतर्गत- **1)** हमसे संपर्क करें/ आधिकारिक संपर्क नंबर / प्रशासनिक अधिकारियों के टेलीफोन नंबर और **2)** हमसे संपर्क करें / दमरे टेलीफोन निर्देशिका. **Information can be viewed on SCRLY website** http://www.scr.indianrailways.gov.in under– 1)Contact us / Official Contact Numbers / Telephone numbers of Administrative Officers and 2) Contact us / SCR TelephoneDirectory.
4(1)(बी)(x) 4(1)(b)(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें विनियमों के अनुसार देय प्रतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है	प्रतिपूर्ति की प्रणाली: सभी प्रतिपूर्ति का भुगतान बैंकिंग चैनल और उचित भुगतान वाउचर के माध्यम से किया जाता है. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मिलने वाले मासिक पारिश्रमिक की जानकारी दक्षिण मध्य रेलवे की वित्त शाखा और कार्मिक शाखा द्वारा प्रदान की जाएगी.

	The monthly remuneration received by each of the officers and employees including the system of compensation as provided in the regulations	**System of compensation: All compensation is paid throughbanking channel and proper payment vouchers. Theinformation regarding monthly remuneration received by each officer and employee will be provided by Financebranch and Personnel branch of South Central Railway.**	
4(1)(बी)(xi)4(1)(b)(xi)	प्रत्येक विभाग के लिए आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण रिपोर्ट को दर्शाया गया है **The budget allocated to each department, indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made**	चिकित्सा विभाग को व्यय करने हेतु रेल मंत्रालय से कार्य बजट अनुदान के रूप में **₹.** प्राप्त हुआ है. इसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सभी नौ क्षेत्रीय इकाइयों में वितरित किया जाता है (आंकड़े हजारों रुपये में :) **The Medical Department hasreceived Rs. from Ministry of Railways as working budget grant for theto meet the expenses. The same is distributed to all nine field units as detailed below (Figures in Thousands of Rupees :)**	
		केंद्रीय अस्पताल/लालगुडा/सिकंदराबाद **Central Hospital/Lallaguda/Secunderabad**	₹.
		सिकंदराबाद मंडल **Secunderabad Division**	₹.
		हैदराबाद मंडल **Hyderabad Division**	₹.
		विजयवाडा मंडल **Vijayawada Division**	₹.
		गुंतकल मंडल **Guntakal Division**	₹.
		गुंटूर मंडल **Guntur Division**	₹.
		नांदेड मंडल **Nanded Division**	₹.
		रायनपाडु उप-मंडल **Rayanapadu Sub-Division**	₹.
		तिरुपति कारखाना अस्पताल **Tirupati Workshop Hospital**	₹.
		कुल **Total**	₹.
4(1)(बी)(xii)4(1)(b)(xii)	आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों को लागू करने का तरीका **The manner of execution of subsidy programmes including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes**	चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है **Not applicable to the medical department**	
4(बी)(xiii) **4(b)(xiii)**	संस्थान द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकार प्राप्त करने वालों का विवरण **Particulars of recipients' of concessions, permits or authorizations granted by the institute**	चिकित्सा विभाग के लिए लागू नहीं है **Not applicable to the medical department**	
4(बी)(xiv) **4(b)(xiv)**	उनके पास उपलब्ध या उनके द्वारा रखी गई जानकारी जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है **Details in respect of the information available to or held by it reduced in an electronic form**	संगठन, इसके विकास, उद्देश्य, योजना, ताकत आदि से संबंधित जानकारी कंपनी की वेबसाइट-**http://www.scr.Indianrailways.gov.in** पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है. **Information relating to organization, its evolution, objectives, plan, strength, etc. have already been made available on company website –** http://www.scr.indianrailways.gov.in	

<table>
<tr>
<td>4(बी)(xv)
4(b)(xv)</td>
<td>सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए सुविधाओं का विवरण
The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use</td>
<td colspan="4">चिकित्सा विभाग किसी सार्वजनिक पुस्तकालय का रखरखाव नहीं करता है. हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक नागरिक पीआईओ को अपने प्रश्न अग्रेषित कर सकते हैं या दमरे से संबंधित सामान्य जानकारी वेब साइट -www.scr. Indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा सकती है.
Medical Department does not maintain any Public Library. However, citizens wishing to avail of information underRight to Information Act may forward queries to PIOs or general information on SCRLY could be obtained from the web site-www.scr.indianrailways.gov.in</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">4(बी)(xvi)
4(b)(xvi)</td>
<td rowspan="3">जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विवरण
The names designations and other particulars of the

Public Information Officers</td>
<td>नाम Name</td>
<td>पदनाम
Designation</td>
<td>टेलीफोन नंबर
Tel Number</td>
<td>फैक्स नंबर
Fax number</td>
</tr>
<tr>
<td>डॉ सुरेखा गजभिये
Dr Surekha Gajbhiye</td>
<td>अपर सीएमडी/टीएंडए एवं जन सूचना अधिकारी
Addl.CMD/T&A & Public Information Officer</td>
<td>040 - 27822608</td>
<td rowspan="2">040-27821373</td>
</tr>
<tr>
<td>श्री वाई सुब्रह्मण्येश्वर राव
Sri Y. SubrahmanyeswaraRao</td>
<td>एएचईओ और एपीआईओ
AHEO & APIO</td>
<td>040 - 27786807
040-27785032</td>
</tr>
<tr>
<td>4(बी)(xvii)
4(b)(xvii)</td>
<td>ऐसी अन्य कोई निर्धारित जानकारी
Such other information as may be prescribed</td>
<td colspan="4">ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञ-निबंधन व शर्तें संबंधित जानकारी; ऑनररी विजिटिंग विशेषज्ञों की सूची; संविदा चिकित्सा प्राक्टीशनर-नियम और शर्तें; फार्मास्युटिकल फर्मों का पंजीकरण- निबंधन व शर्तें; पंजीकृत फार्मास्युटिकल फर्मों की सूची; सर्जिकल फर्म पंजीकरण- निबंधन व शर्तें; वार्षिक मेडिकल इंडेंटों की स्वीकृत दरें; स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों को मान्यता; चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रपत्र; चिकित्सा जांच के लिए चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन - हमारे बारे में/विभाग/चिकित्सा वेब साइट पर- http://www.scr. Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध हैं.

Information regarding Honorary Visiting Specialists-termsand conditions; list of Honorary Visiting specialists; Contract Medical Practitioners-terms and conditions; Registration of Pharmaceutical Firms-termsand conditions; List of registered Pharmaceutical firms; Surgical Firms Registration-terms and conditions; Accepted rates of Annual Medical Indents; Recognization of Private Hospitals’ for Health care; Medical Reimbursement form; Nomination of Medical Officers for Medical Examinationare available on under - About us/Departments/ Medical on web site-
http://www.scr.indianrailways.gov.in</td>
</tr>
</table>